

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
छातर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संख्या: दिनांक 13-9-2019

—कार्यालय ध्यान—

अतिरिक्त राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक पत्र 2019-20 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, छातर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभागा ज्ञात किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, छातर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश सत्यापन/अन्य हेतु पत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-17 में विभिन्न इन नामों की पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली नई संस्था का प्रवेश करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा तयन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

ऐसी नवस्थापित विधालया इन नामों की संख्या जिन्हें पत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम पत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन नष्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रदेश के संबंध में बैठक आयोजन कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को वास्तुतः प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारन्विलसिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

इस निम्नानुसार संबंधित संस्था की परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अधिन पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, छातर प्रदेश सरकार द्वारा पत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित ताली के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश सत्यापन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा पत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सत्यापन	परिषद द्वारा पत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सत्यापन
1	राज्य	विद्यार्थी0आई0टी0आई0 कार्यालय अतिरिक्त पत्र सं. 10, पी0सी0आई0 द्वारा अतिरिक्त-संस्थाएं, पूर्ण शिक्षा-वर्षीय पत्र अंतर, अनुमोदन	विद्यार्थी इन कार्यालय	10	10

सम्बद्धता हेतु नई

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी ताली का पूर्ण पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद विधिवतवारी सहायता एवं शिक्षा विभाग एवं अंतर्गत का अनुमोदन करनी तथा पूर्ण निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए संस्थाओं हेतु सं. 20,15000/- अंतर्गत, की ताली पालनी पाठ्यक्रम हेतु

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राजारा प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- अधीप/परीपद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 19-9-2020

—कार्यालय द्वारा—

अधिसूचित राजकीय विद्या परिषद, नई दिल्ली/राजकीय कार्यालय लोक इलेक्ट्रान नई दिल्ली द्वारा संचित सत्र 2020-21 हेतु विज्ञापन अधिसूचित राजकीय विद्या संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की राजारा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अधिसूचित प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में अधिसूचित कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिसूचित द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदपूर्वक/प्रवेश जगता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

सत्र के अंतर्गत में सम्बद्धता अधिसूचित की बैठक की सत्र-3 में विज्ञापन इन राजकीय पदपूर्वक सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का अंतरण रहा गया; सम्बद्धता अधिसूचित द्वारा गत दिनांक-दिनांक का विस्तार निर्णय किया गया -

- निम्नी श्रेण में स्थापित विज्ञापन इन राजकीय पदपूर्वक सम्बद्धता करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम को सम्मुख अधिसूचित पदपूर्वक/प्रवेश जगता की सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को अद्यत सम्बद्धता अधिसूचित की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में सत्र सत्र के अधिसूचित शिक्षा परिषद, 20 से लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता करने की अधिसूचित पदपूर्वक एवं प्रवेश अधिसूचित लोक जगता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था सं. सं.	संस्था का नाम	पदपूर्वक का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन परीक्षा जगता	पीठसीआईओ /परीपद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन परीक्षा जगता
1	1971	विज्ञापन/परीपद, राजकीय अधिसूचित सत्र 20-20, लखनऊ।	विज्ञापन इन राजकीय	का	का

सम्बद्ध हेतु गार्ड

- ✓ सत्र पदपूर्वक/परीपद/परीपद द्वारा निर्णय की गयी सभी का पूर्ण प्रदान करेगी।
- ✓ सत्र प्रारंभ प्रारंभ अधिसूचित शिक्षा परिषद एवं 1971 एवं अधिसूचित शिक्षा अधिसूचित विज्ञापन/परीपद/परीपद 2020 लखनऊ अधिसूचित निर्णय एवं अंतरण का अनुमोदन करने का शुल्क निर्णय अधिसूचित द्वारा निर्णय शुल्क तीन लख इन्डिया पदपूर्वक/परीपद हेतु ₹ 30,00,00/- इन्डिया, दो लख राजकीय पदपूर्वक हेतु ₹ 40,00,00/- इन्डिया एवं एक सत्र का अधिसूचित पदपूर्वक/परीपद दो लख राजकीय पदपूर्वक से अधिसूचित हेतु ₹ 20,00,000 इन्डिया शुल्क ही अधिसूचित सत्र/सत्र में प्रदान किया जाएगा। अंतरण के अधिसूचित सत्र/सत्रों से शुल्क की राशि में सत्र-सत्र पर



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1095-VIIT PHARMACY COLLEGE PLOT NO-80,VIIT CAMPUS,OPP CHAKOR PARK,KHURJA ROAD,NEAR VALIPURA GUEST HOUSE,BULANDSHAHR-203001			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLoma IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIIT PHARMACY COLLEGE PLOT NO-80, VIIT CAMPUS, OPP CHAKOR PARK, KHURJA ROAD, NEAR VALIPURA GUEST HOUSE, BULANDSHAHR-203001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव